अति महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-शासनादेश पृष्ठांकन-100/2015/2022-23/ 1874 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 20 जुलाई, 2022

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान)राज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.08.2015 के निर्गत होने के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को किये गये बोनस का भुगतान की वसूली/कटौती के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था0-6-सामान्य शासनादेश पृष्ठांकन-100/2015/2018-19/3267/वाणिज्य कर दिनांक 04.10.2018(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तत्समय निर्देश दिये गये थे कि वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों को संगतवर्ष के लिए बोनस न दिया जाए तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.08.2015 के निर्गत होने के पश्चात् उक्त पद धारक अधिकारियों को यदि बोनस का भुगतान किया गया हो, तो तदनुसार उनसे वसूली / कटौती कर राजकीय कोष में जमा कराया जाये।

उक्त के क्रम में आप से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 04.10.2018 में दिये गये निर्देशानुसार प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.08.2015 के निर्गत होने के पश्चात् किये गये बोनस की वसूली / कटौती कर राजकीय कोष में जमा किये जाने सम्बन्धी जोन स्तर की संकलित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

श्री 2310

D.C.(I.T.)
20/07/2022
1751

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त ग्रेड-2(सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, गाजियाबाद / लखनऊ / प्रयागराज।
2- समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- पटल प्रभारी, स्था0-5(क) स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

20/07/2022

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य शासनादेश पृष्ठांकन-100/2015 /2018-19 // 3267 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ// दिनांक // ०५ अक्टूबर, 2018

-::कार्यालय ज्ञाप::-

कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-13(2)2015/-का-1-2015 दिनांक 12-08-2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा लिपिक संवर्ग में कार्यरत / प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी की प्रतिष्ठा प्रदान की गई है, जिसके क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-2716/11-3-2015 दिनांक 09-10-2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भी उक्त पदों का राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन / एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के मतानुसार प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को तदर्थ बोनस दिये जाने की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है। अतः इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते है कि वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों को संगतवर्ष के लिए बोनस न दिया जाए तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-08-2015 के निर्गत होने के पश्चात उक्त पद धारक अधिकारियों को यदि बोनस का भुगतान किया गया हो, तो तदनुसार उनसे वसूली / कटौती कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

04/10/18

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद/ लखनऊ/इलाहाबाद।

3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

6- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।

7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।